

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:प.11(51)विजा/राम/2023/ 2006

दिनांक:- 16/9/2023

-: आदेश :-

श्रीमती दीपिका कटारा, नायब तहसीलदार, गनोड़ा जिला बांसवाड़ा (स्थानान्तरणाधीन) को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

निलम्बनकाल में श्रीमती दीपिका कटारा, नायब तहसीलदार, गनोड़ा जिला बांसवाड़ा का मुख्यालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर निर्धारित किया जाता है।

निलम्बनकाल में श्रीमती दीपिका कटारा को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

अध्यक्ष राजस्व मण्डल के
आदेशानुसार

निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

क्रमांक:सम/ 2007-2011

दिनांक 16/9/2023

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि श्रीमती दीपिका कटारा, नायब तहसीलदार, गनोड़ा जिला बांसवाड़ा को उक्त निलम्बन आदेश तामील करवाते हुए अविलम्ब श्रीमती दीपिका कटारा, नायब तहसीलदार को अपनी उपस्थिति राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें।
2. उप निबन्धक (रातस), राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. संयुक्त निदेशक (बिल्स), राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
4. श्रीमती दीपिका कटारा, नायब तहसीलदार, गनोड़ा जिला बांसवाड़ा (निलम्बित) मुख्यालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर मार्फत जिला कलक्टर, बांसवाड़ा।
5. आदेश पंजिका।

निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

Signature valid

Digitally signed by Priya Bhargava
Designation: Additional Registrar
Date: 2023.09.16 21:13:42 IST
Reason: Approved

